रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2000/अग्रहायण 8, 1922
No. 607] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2000/AGRAHAYANA 8, 1922

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2000

सा. का. नि. 903(अ)/अ.व./आ.व./ईख.— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 7 क के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईख नियंत्रण आदेश 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (i)इस आदेश का संक्षिप्त नाम ईख नियंत्रण (संशोधन) आदेश,2000 है।

(ii)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. ईख नियंत्रण आदेश, 1966 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) खण्ड 3 में,-

(i)उपखण्ड(7) में, 'या अन्य किसी कारण से' शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उपखण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे,

अर्थात्

'(8) जहां ईख के उत्पादक या उसके अभिकर्ता ने इस आदेश के खण्ड 9 के अधीन सूचना देने में व्यतिक्रम किया है या पूरा संदाय करने में अथवा ईख के किसी उगाने वाले को या किसी ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटी को ईख के प्रदान की तारीख से 15 दिनों के भीतर ईख की कीमत के किसी भाग का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है अथवा जहां किसी विनिर्दिष्ट समय के भीतर कीमत का संदाय करने के लिए पक्षकारों के बीच लिखित में कोई करार है तथा किसी उत्पादक या उसके अभिकर्ता ने उसमें विनिर्दिष्ट करार पाए गए समय के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम किया है वहां केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत

कोई अधिकारी अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ईख के उत्पादक या उसके अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर या दावों के आधार पर यदि कोई हो, जो इसे या उसे कीमतों के या उनके बकाया के संदाय न करने की बावत यथास्थिति जो संबंधित ईख के उगाने वाले या ईख के उगाने वालों की सहकारी सोसायटी द्वारा किए जाएं, या ऐसी जांच के आधार पर जो यह या वह उपयुक्त समझें, उस जिले के कलक्टर को अग्रेषित करेगा जिसमें कारखाना स्थित है, जो एक प्रमाण-पत्र में ईख की कीमत की राशि तथा उस पर शोध्य ब्याज जो उत्पादक या उसके अभिकर्ता से देय हो, भूराजस्व के रूप में इसकी वसूली के लिए विनिर्दिष्ट करते हुए होगा।

(9) कलक्टर, ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ईख के ऐसे उत्पादक या उसके अभिकर्ता से उसमें विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो यह भूराजस्व का बकाया हो।

(10) वसूली करने के पश्चात् कलक्टर ईख के संबंधित उगाने वालों या संबंधित ईख के उगाने वालों की सहकारी सोसायटियों को किसी लोकसूचना के माध्यम से संसूचित करेगा जिसमें 30 दिन की समुचित अवधि के भीतर ऐसी रीति में जो वह उपयुक्त समझे उनके दावे प्रस्तुत किए जाएंगे:-

परंतु यह कि कलक्टर अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दावों को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पहले ऐसे दावे प्रस्तुत न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(11) यदि वसूल की गई राशि उपखण्ड (8) के अधीन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि से कम है तो कलक्टर इस प्रकार वसूल की गई राशि को संबंधित ईख उगाने वालों या संबंधित ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटी में यथा-स्थिति, के बीच, संबंधित ईख उगाने वालों या ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटी द्वारा प्रदाय किए गए ईख के आधार पर कलक्टर द्वारा अवधारित अनुपात में वितरित की जाएगी।

(12) यदि वसूल की गई और उपखण्ड (11) के अधीन वितरित की गई राशि, उपखण्ड 8 के अधीन प्रमाण-पत्र में विनर्दिष्ट राशि से कम हैं तो कलक्टर शेष राशि को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो जब तक कि शेष दावों के समाधानप्रद रूप में पूरी राशि वसूल और वितरित की जाती है

(13) यदि राशि संबंधित ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटियों को दी जाती है तो यह राशि की चैक/ड्राफ्ट या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बैंककारी लिखत के माध्यम से जो किसी अनुसूचित बैंक की हो, संबंधित ईख उगाने वालों को कलक्टर से राशि की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर वितरित करेंगी।

(14) यदि संबंधित ईख उगाने वाला या संबंधित ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटी कलक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की गई राशि का दावा या संग्रहण करने के लिए, उपखण्ड 10 में निर्दिष्ट लोकसूचना की तारीख से 3 वर्षों के भीतर आगे

नहीं आता है तो अदावाकृत राशि को कलक्टर द्वारा राज्य की संचित निधि में जमा करा दिया जाएगा।"

3. उक्त आदेश में, खण्ड 5 क में, -

(i)उपखण्ड (10) में "या किसी अन्य कारण से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii)उपखण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएंगे अर्थात्:-

"(11) जहां ईख के किसी उत्पादक या उसके अभिकर्ता ने केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा इस बावत विनिर्दिष्ट समय के भीतर ईख के अतिरिक्त कीमत का पूरे या किसी भाग का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है तब ऐसी सरकार या अधिकारी ऐसी जांच या ईख के उत्पादक या उसके अभिकर्ता से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मंगाने के पश्चात् जो वह उपयुक्त समझे, या ईख उगाने वालों के दावों के आधार पर उस जिले के कलक्टर को एक प्रमाण-पत्र अग्रेषित करेगा जिसमें कारखाना स्थित है और जिसमें भूराजस्व की बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए ईख के उत्पादक या उसके अभिकर्ता से शोध्य ईख की अतिरिक्त कीमत की बकाया राशि को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(12) कलक्टर, ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ईख के ऐसे उत्पादक या उसके अभिकर्ता से उसमें विनिर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो यह भूराजस्व का बकाया हो।

(13) वसूली करने के पश्चात् कलक्टर ईख के संबंधित उगाने वालों या संबंधित ईख के उगाने वालों की सहकारी सोसायटियों को किसी लोकसूचना के माध्यम से संसूचित करेगा जिसमें 30 दिन की समुचित अवधि के भीतर ऐसी रीति में जो वह उपयुक्त समझे उनके दावे प्रस्तुत किए जाएंगे:

परंतु यह कि कलक्टर अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दावों को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पहले ऐसे दावे प्रस्तुत न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(14) यदि वसूल की गई राशि उपखण्ड(11) के अधीन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि से कम है तो कलक्टर इस प्रकार वसूल की गई राशि को संबंधित ईख उगाने वालों या संबंधित ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटी में के बीच, यथास्थिति, संबंधित ईख उगाने वालों या ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटी द्वारा प्रदाय किए गए ईख के आधार पर कलक्टर द्वारा अवधारित अनुपात में वितरित की जाएगी।

(15) यदि वसूल की गई और उपखण्ड(14) के अधीन वितरित की गई राशि, उपखण्ड (11) के अधीन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि से कम है तो कलक्टर शेष राशि को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो जब तक कि शेष दावों के समाधानप्रद रूप में पूरी राशि वसूल और वितरित की जाती है।

(16) यदि राशि संबंधित ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटियों को दी जाती है तो यह राशि को चैक/ड्राफ्ट या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बैंककारी लिखत के माध्यम से जो किसी अनुसूचित बैंक की हो, संबंधित ईख उगाने वालों को कलक्टर से राशि की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर वितरित करेंगी।

(17) यदि संबंधित ईख उगाने वाला या संबंधित ईख उगाने वालों की सहकारी सोसायटी कलक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की गई राशि का दावा या संग्रहण करने के लिए, उपखण्ड(10) में निर्दिष्ट लोकसूचना की तारीख से 3 वर्षों के भीतर आगे नहीं आता है तो अदावाकृत राशि को कलक्टर द्वारा राज्य की संचित निधि में जमा करा दिया जाएगा।"

4. उक्त आदेश में, खण्ड 9 में, उपखण्ड क के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड(कक) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) ईख के किसी उत्पादक या उसके अभिकर्ता को प्रत्येक पक्ष के बंद होने के 7 दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को क्रय किए गए गन्ने के ब्यौरे, गन्ने की शोध्य की कीमत, गन्ने की संदत्त कीमत, गन्ने की इस आदेश की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पक्ष के लिए बकाया को बनाए रखने और प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकेगा।""

तृतीय अनुसूची

[खण्ड 9(कक) देखिए]

ईख की कीमत का बकायाः

चीनी के उत्पादक या उसके अभिकर्ता का नामः

संयंत्र का संक्षिप्त नामः

संयंत्र का कोड सं0

ईख का मौसमः

विशिष्टियां	पक्ष गेट/स्वयं की संपदा/बाहर से	तारीख तक गेट/स्वयं की संपदा/बाहर से	योग
1. क्रय की गई ईख की मात्रा(क्विंटलों में) (क) अधिक चीनी से युक्त किस्म (ख) अन्य किस्में (ग) योग			
2. वह दर जिस पर मास के दौरान ईख का क्रय किया गया(रूपये प्रति क्विंटल) (क) गेट पर (ख) क्रय केंद्र पर		अधिक चीनी से युक्त किस्म	साधारण किस्में

3. (i) ईख की देय कीमत(लाख रूपये में) (क) अधिक चीनी से युक्त किस्म (ख) अन्य किस्में (ग) योग 3.(ii) ईख के प्रदाय के संदाय में 14 दिन से अधिक देरी होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज (रू0 में)			
4.(i) ईख की संदत्त कीमत (लाख रूपये में) (क) अधिक चीनी से युक्त किस्में (ख) अन्य किस्में (ग) योग 4(ii) 3(ii) में विनिर्दिष्ट रकम में से संदत्त ब्याज(रू0 में)			
5.(i) बकाया (लाख रूपये में) (क) अधिक चीनी से युक्त किस्म (ख) अन्य किस्में (ग) योग 5(ii) बकाया ब्याज(रू0 में)			
6.भुगतान में देरी का कारण			
7.पिछले मौसम के लिए ईख की कीमत का बकाया			
8.पहले के मौसमों के लिए ईख की कीमत का बकाया (लाख रूपये में)(चालू और पिछले मौसम को छोड़कर)			

तारीख :

स्थान :

(चीनी उत्पादक या उसके अभिकर्ता
या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो)

[फा. सं. 4-5/2000-एस.डी.-II]

आर. एन. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल आदेश भारत के राजपत्र(असाधारण) में सा0नि0सं0 1126/आ.व./ईख तारीख 16 जुलाई, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थेः-

1. सा0का0नि0 35/आ.व./ईख तारीख 5.6.1967
2. सा0का0नि0 1591/आ.व./ईख तारीख 17.10.1967
3. सा0का0नि0 945/आ.व./ईख तारीख 18.5.1968
4. सा0का0नि0 1456/आ.व./ईख तारीख 2.8.1968
5. सा0का0नि0 402(अ)/आ.व./ईख तारीख 25.9.1974
6. सा0का0नि0 492(अ)/आ.व./ईख तारीख 12.9.1975
7. सा0का0नि0 542(अ)/आ.व./ईख तारीख 27.10.1975
8. सा0का0नि0 484(अ)/आ.व./ईख तारीख 26.7.1976
9. सा0का0नि0 799(अ)/आ.व./ईख तारीख 13.9.1976
10. सा0का0नि0 913(अ)/आ.व./ईख तारीख 9.12.1976
11. सा0का0नि0 197(अ)/आ.व./ईख तारीख 29.3.1982
12. सा0का0नि0 79(अ)/आ.व./ईख तारीख 24.2.1982
13. सा0का0नि0 695(अ)/आ.व./ईख तारीख 9.9.1983

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 29th November, 2000

G.S.R. 903(E)/Ess.Com./Sugarcane.— In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7-A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 55), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order,2000.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3 -

(i) in sub-clause (7), the words "or for any other reason" shall be omitted;

(ii) after sub-clause (7), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(8) Where any producer of sugar or his agent has defaulted in furnishing information under clause 9 of this Order or has defaulted in paying the whole or any part of the price of sugarcane to a grower of sugarcane or a sugarcane growers co-operative society within fourteen days from the date of delivery of sugarcane, or where there is an agreement in writing between the parties for payment of price within a specified time and any producer or his agent has defaulted in making payment within the agreed time specified therein, the Central Government or an officer authorized by the Central Government in this behalf or the State Government or an officer authorized by the State Government in this behalf may either on the basis of information made available by the producer of sugar or his agent or on the basis of claims, if any, made to it or him regarding non-payment of prices or arrears thereof, by the concerned grower of sugarcane or the sugarcane growers cooperative society, as the case may be, or on the basis of such enquiry that it or he deems fit, shall forward to the Collector of the district in which the factory is located, a certificate specifying the amount of price of sugarcane and interest due thereon from the producer of sugar or his agent for its recovery as arrears of land revenue.

(9) The Collector, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such producer of sugar or his agent the amount specified therein as if it were arrears of land revenue.

(10) After effecting the recovery, the Collector shall intimate to the concerned growers of the sugarcane or the concerned sugarcane growers co-operative societies through a public notice to submit their claims in such a manner as he considers appropriate within thirty days:

Provided that the Collector may, for the reasons to be recorded in writing, allow the submission of claims after the period so specified if he is satisfied that there was sufficient cause for not submitting such claim earlier.

(11) If the amount recovered is less than the amount specified in the certificate under sub-clause (8), the Collector shall distribute the amount so recovered among the concerned growers of the sugarcane or the concerned sugarcane growers cooperatives in proportion to the ratio determined by the Collector on the basis of the sugarcane supplied by the concerned growers of sugarcane or the sugarcane growers' cooperative society, as the case may be.

(12) If the amount recovered and distributed under sub-clause (11) is less than the amount specified in the certificate under sub-clause (8), the Collector shall proceed to recover the remaining amount, as if it were arrears of land revenue till the full amount is recovered and distributed to satisfy the remaining claims.

(13) If the amount is given to the concerned sugarcane growers co-operative societies, it shall distribute the amount through cheque/draft/or any other recognized banking instrument on any Scheduled Bank to the concerned sugarcane growers within ten days of the receipt of the amount from the Collector.

(14) If the concerned sugarcane grower or the concerned sugarcane growers co-operative society do not come forward to claim or collect the amount so recovered by the Collector within three years from the date of the public notice referred to in sub-clause (10), the unclaimed amount shall be deposited by the Collector in the Consolidated Fund of the State."

3. In the said Order, in clause 5A, -

(i) in sub-clause (10) the words "or for any other reason" shall be omitted.

(ii) after sub-clause (10), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(11) Where any producer of sugar or his agent has defaulted in paying the whole or any part of the additional price of sugarcane within the time specified in this regard by the Central Government or an officer authorized by the Central Government in this behalf or the State Government or an officer authorized by the State Government in this behalf, then such Government or officer may after making such enquiries or calling for such additional information from the producer of sugar or his agent as deems fit, or on the basis of claims of the sugarcane growers, forward to the Collector of the district in which the factory is situated a certificate specifying the amount of arrears of additional price of sugarcane due from the producer of sugar or his agent for its recovery as arrears of land revenue.

(12) The Collector, on receipt of such certificate shall proceed to recover from such producer of sugar or his agent the amount specified therein as if it were arrears of land revenue.

(13) After effecting the recovery, the Collector shall intimate to the concerned growers of the sugarcane or the concerned sugarcane growers co-operative societies through a public

notice to submit their claims in such a manner as he considers appropriate within thirty days:

Provided that the Collector may, for the reasons to be recorded in writing, allow the submission of claims after the period so specified if he is satisfied that there was sufficient cause for not submitting such claim earlier

(14) If the amount recovered is less than the amount specified in the certificate under sub-clause (11), the Collector shall distribute the amount so recovered among the concerned growers of the sugarcane or the concerned sugarcane growers cooperatives in proportion to the ratio determined by the Collector on the basis of the sugarcane supplied by the concerned growers of sugarcane or the sugarcane growers cooperative society as the case may be.

(15) If the amount recovered and distributed under sub-clause (14) is less than the amount specified in the certificate under sub-clause (11), the Collector shall proceed to recover the remaining amount as if it were arrears of land revenue till the full amount is recovered and distributed to satisfy the remaining claims.

(16) If the amount is given to the concerned sugarcane growers co-operative societies, it shall distribute the amount through cheque, draft, or any other recognized banking instrument on any Scheduled Bank to the concerned sugarcane growers within ten days of the receipt of the amount from the Collector.

(17) If the concerned sugarcane grower or the concerned sugarcane growers co-operative society do not come forward to claim or collect the amount so recovered by the Collector within three years from the date of the public notice referred to in sub-clause (13), the unclaimed amount shall be deposited by the Collector in the Consolidated Fund of the State."

4. In the said Order, in clause 9, after sub-clause (a), the following sub-clause (aa) shall be inserted, namely:-

"(aa) direct any producer of sugar or his agent to maintain and furnish within seven days of the close of each fortnight to the Central Government or any officer authorized in this behalf by that Government details of cane purchased, cane price due, cane price paid, cane price arrears for each fortnight as specified in the Third Schedule to this Order.

3269 GI/2000-2

THIRD SCHEDULE
[See clause 9(aa)]

Cane Price Arrears:

Name of the producer of sugar or his agent
Plant Short Name
Plant Code No.
Sugar Season
Fortnight ending Date:

Particulars	Fortnight	To date	Total
	Gate/Own Estate/Out station	Gate/Own Estate/Out Station	
1. Quantity of Cane purchased (in quintals) (a) Sugar rich variety (b) Other varieties (c) Total			
2. Rate at which cane is purchased (in rupees per quintal) during the month (a) At the gate (b) At the purchase centre.	Sugar rich varieties		Ordinary varieties
3(i) Cane price due (in lakh Rs.) (a) Sugar rich variety (b) Other varieties (c) Total 3(ii) Interest due at the rate of 15% per annum on delay in payment beyond 14 days of delivery of sugarcane (in Rs.)			
4(i) Cane price paid (in lakh Rs.) (a) Sugar rich variety (b) Other varieties (c) Total 4(ii) Interest paid out of the amount specified in 3(ii) (in Rs.)			
5(i) Arrears (in lakh Rs.) (a) Sugar rich variety (b) Other varieties (c) Total 5(ii) Interest Arrears (in Rs.)			
6. Reasons for delay in payment:			

7. Arrears of cane price for previous season
8. Arrears of cane price for earlier seasons: (excluding current and previous season) (in lakh Rs.)

Date:
Place:

(To be signed by Producer of sugar
Or his agent or authorised signatory)

[F No. 4-5/2000-SD.II]
R.N DAS, Jt Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette Extraordinary of India vide number GSR 1126/Ess.Com./Sugarcane, dated 16TH July, 1966 and subsequently amended vide:

1. GSR 35/Ess.Com./Sugarcane dt.5.6.1967
2. GSR 1591/Ess.Com./Sugarcane dt.17.10.1967
3. GSR 945/Ess.Com./Sugarcane dt.18.5.68
4. GSR 1456/Ess.Com./Sugarcane dt.2.8.68
5. GSR 402(E)/Ess.Com./Sugarcane dt. 25.9.74
6. GSR 492(E)/Ess.Com./Sugarcane dt12.9.75
7. GSR 542(E)/Ess.Com./Sugarcane dt.27.10.75
8. GSR 484(E)/Ess.Com./Sugarcane dt.26.7.76
9. GSR 799(E)/Ess.Com./Sugarcane dt.13.9.76
10. GSR 913(E)/Ess.Com./Sugarcane dt.9.12.76
11. GSR 197(E)/Ess.Com./Sugarcane dt.29.3.78
12. GSR 79(E)/Ess.Com./Sugarcane dt.24.2.82
13. GSR 695(E)/Ess.Com./Sugarcane dt. 9.9.83

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054